न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 479/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मांगीलाल पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी पुरखापुरा तहसील व जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11–7–2016 जो उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2016 अनवान मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जी.आर.गोरा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–10–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि मौजा बम्बोर दर्जियान तहसील जोधपुर की सरहद मे कृषि भूमि एवं राजस्व रेकर्ड मे दर्ज गै0मु0बाला की भूमि खसरा नंबर 9 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा पर अपीलांट का पीढियो से कब्जा काश्त चला आ रहा है मगर राजस्व रेकर्ड मे उक्त भूमि गै0मु0 नाला भूल से दर्ज होने से उक्त भूमि की खातेदार प्रारंभ से ही प्रार्थी/अपीलांट के नाम दर्ज नही हो सकी, जिसके संदर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उक्त भूमि प्रार्थी/अपीलांट के नाम दर्ज करने बाबत निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–2016 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया जाने पर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ठीके से देखे बिना एवं अपीलांट अधिवक्ता को सुने बिना मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारीज कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व शिविर मे मौके की रिपोर्ट चाही जाने पर पटवारी हल्का जोलियाली, आर.आई. केरू तथा तहसीलदार जोधपुर ने बिना मौका देखे ही मनमर्जी से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के अडौस–पडौस की सभी भूमियां कृषि भूमियां है तथा मौके पर काश्त से आबाद है तथा इस भू भाग पर कोई नाला, बाला आया हुआ नही है, न ही कोई नाला बाला होने के कोई पुराने आलामात ही है तथा न ही ग्रामीणो ने पूर्व मे कभी कोई नाला बाला यहां देखा ही है परंतु सेटलमेंट के दौरान भूलवशः बाला दर्ज कर दिया, जिसे शुद्ध किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर इसलिए नही हो पाई क्योकि उक्त प्रकरण लंबे समय तक न्यायालय मे दर्ज किये बिना ही पडा रहा तथा प्रकरण की दर्जगी प्रकरण के निस्तारण करते समय ही की गई । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया होने से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होते ही अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील की है जिसे स्वीकार करने तथा अधीनसथ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–2016 को अपास्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि का अपीलांट रेकर्डेड खातेदारी ही नही है इसलिए उसे किसी प्रकार की शुद्धि बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से ग्राम बम्बोर दर्जियान के खसरा नंबर 9 करबा 14 बीघा भूमि संवत 2013 से संवत 2042 तक गै.मु.बाला के रूप मे दर्ज थी जो वर्तमान मे भी गै.मु.बाला के रूप मे दर्ज होने से उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज किया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थनापत्र के समर्थन मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रकट हो पूर्व मे अपीलाधीन भूमि की किस्म गै.मु.नाला नही थी तथा सेटलमेंट के दौरान त्रुटिवशः गै.मु.नाला दर्ज कर दिया गया हो तथा न ही अपीलांट इस न्यायालय मे यह सिद्ध कर पाये कि त्रुटि कब एवं कहां हुई । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तत कये गये धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलांट केवल अपने लंबे कब्जा काश्त के आधार पर अपीलाधीन भूमि की किस्म गै.मु.नाला से बारानी दर्ज करवाने बाबत चाही गई इस्तदुआ धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये दिलवाई जाना संभव नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर